प्रकरण संख्या 187/2017 श्रीमती नानीबाई बनाम श्रीमती लच्छुबाई

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फांदा में खाता संख्या 153 की आराजी नंबर 831, 963 से 971 कुल किता 10 रकबा 2.1300 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके लाला जी भील एक मात्र मालिक थे, जिसका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 उनके विधिक वारिसान हैं। लाला जी की मृत्यु करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उपरोक्त आराजियात में वादिया प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 9 का 1/5 हिस्सा होकर इसी अनुसार पक्षकारान काबिज हैं, किन्तु उक्त राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम अंकित नहीं हुआ है, जबकि वादीगण लाला जी की पुत्रियां होने से उनका भी विवादित आराजियात में समान हक व अधिकार है। अतः उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अलग से दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्य 1 से 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का तितरडी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 27.07.2010 को डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.11.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त जमीन बाबत् एक वाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जो मुकदमा नंबर 93/2007 होकर दिनांक 25.06.2009 को प्रारम्भिक डिक्री एवं दिनांक 10.11.2009 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट ने तथ्यों को छुपाकर पुनः इन्हीं आराजियात बाबत्	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:31 IST
Reason: SelfAttested

नया वाद अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना पेश कर दिया, जबकि वाद पेश करने के दिन अपीलान्ट विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार था, परन्तु जानबूझकर उसे पक्षकार नहीं बनाया एवं पीठ पीछे डिक्री प्राप्त कर ली, जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उसे अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इन्हीं आराजियात बाबत् प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 93/2007 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2009 को प्रारिम्भक डिक्री जारी की जाकर दिनांक 10.11.2009 को अंतिम डिक्री जारी की गयी है, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण संख्या 29/2010 निर्णय दिनांक 27.07.2010 में प्रार्थी/अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वह व्यथित, हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार होना साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे उसे प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। प्रथम बार दिनांक 27.09.2017 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। अतः देरी का उचित एवं पर्याप्त कारण होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समझे बिना, बिना किसी आधार के वादी द्वारा बताये अनुसार वाद डिक्री कर दिया, जो निरस्त योग्य है। जब न्यायालय को ज्ञान में आया कि वादग्रस्त जमीन बाबत् उसी न्यायालय में प्रकरण संख्या 93/2007 में दिनांक 10.11.2009 की डिक्री है, तो वाद खारिज कर देना चाहिए था। पटवारी रिपोर्ट में भी अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:31 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त जमीन का खातेदार बताया गया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार संयोजित किये बिना निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण संख्या 93/2007 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2009 को यथावत रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 394 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 93/2007 का स्पष्ट ज्ञान था तथा पटवारी रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है एवं उसे बिना पक्षकार बनाये उसके विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर तथा उसे विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
[illegible] अधिकारी
एवं [illegible] स्व अपील अधिकारी
[illegible] उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:31 IST
Reason: SelfAttested